नगरपालिका परिषद, रामनगर (नैनीताल)।
आबटंन शरायते–ठेका पशु पंजीकरण एवं पंजीकृत तहबाजारी
(01–05–2026 से 31–03–2027 तक)

1. ठेका आबंटन हेतु निविदाऐ ई0टैण्डर वेबसाईट www.uktenders.gov.in के माध्यम से ही प्राप्त किये जायेगें।
2. ठेके हेतु न्यूनतम सरकारी धनराशि 25,43,384=00 (पच्चीस लाख तैतालिस हजार तीन सौ चौरासी रू0 मात्र) एवं 18 प्रतिशत (जी0एस0टी0) अतिरिक्त निर्धारित है।
3. ई0 निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज (तकनीकि निविदा) संलग्न करने अनिवार्य होगे। समस्त दस्तावेजो की स्वप्रमाणित प्रति नगरपालिका कार्यालय में निर्धारित समयावधि के भीतर जमा करनी अनिवार्य होगी, तकनीकी निविदा मे अर्ह पाये जाने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी, अन्यथा की दशा में ई0 निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।
   - आधार कार्ड।
   - पेंन कार्ड।
   - निविदादाता को निविदा धनराशि की 50 प्रतिशत की डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी0डी0)संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
   - राशन कार्ड या ऐसा वैध दस्तावेज जो पारिवारिक सदस्यों की पुष्टि करता हों।
   - निविदादाता को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत स्थाई निवास प्रमाण पत्र (उत्तराखण्ड में निवासरत) का संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
   - सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र (ठेकेदारी) जो 06 माह से अधिक पुराना न हो।
   - रू 2,54,338=00 का अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, रामनगर के नाम से देय एफ0डी0आर0 (मूल रूप में) जमानत धनराशि के रूप में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
   - निविदादाता को नगरपालिका रामनगर द्वारा निर्गत अदेयता प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   - निविदा प्रपत्र मूल्य रू 2000=00 एवं 18 प्रतिशत (जी0एस0टी0) अतिक्ति कुल धनराशि रू 2,360=00 का अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद, रामनगर के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट (मूल में)
   - निविदादाता को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत ठेके की न्यूनतम धनराशि 25,43,384=00 रू0 या उससे अधिकतम धनराशि का (वैध) अवधि का हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
   - नगरपालिका परिषद, रामनगर के किसी भी कर व शुल्क के बकायेदार एवं पालिका की काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में दर्ज उसके पारिवारिक सदस्यों को (राशन कार्ड में उल्लिखित) ठेके में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
   - निविदादाता को निविदा प्रपत्र में जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र. संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
   - हैसियत प्रमाण पत्र में उल्लेखित सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण मय चौहदी का नोटरीकृत शपथ पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
4. ठेकेदार द्वारा ठेका लिये जाने से मना करने पर ठेकेदार की जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी व ठेकेदार को काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा एवं ठेका द्वितीय व तृतीय उच्चतर निविदादाता के पक्ष में स्वीकृत करने पर विचार किया जायेगा।
5. ठेके की 25 प्रतिशत शेष धनराशि 30 सितम्बर 2026 एवं 25 प्रतिशत 28 फरवरी 2027 तक दो समान किस्तों में जमा करना आवश्यक होगा। इस हेतु ठेकेदार द्वारा 02 (दो) POST DATED CHEQUE नगरपालिका कार्यालय में जमा कराये जाने अनिवार्य होगें जिन्हें किस्त जमा न होने की स्थिति में पालिका कोष में जमा कराया जा सकेगा तथा जमा कराये गये चैको का अनादर (चैक बाउन्स) होने की

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
रामनगर (नैनीताल)

अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद
रामनगर (नैनीताल)

स्थिति में ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।

6. उच्चतम निविदादाता को ठेका स्वीकृत होने के 07 दिवस के अन्दर नियमानुसार अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही स्वयं के व्यय पर पूर्ण करनी होगी, जिस हेतु निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर (निविदा राशि का 02 प्रतिशत) नगरपालिका कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें। ठेकेदार को वसूली आदेश अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही दिया जायेगा। स्टाम्प शुल्क, महानिरीक्षक निबंधन उत्तराखण्ड देहरादून के आदेश पत्र सं0–375/म0निनि0/2012–13 दिनांक 13 जुलाई 2012 के अन्तर्गत ठेके की राशि के 02 प्रतिशत की दर से देय होगा।
7. यदि किसी व्यक्ति/फर्म/संस्था द्वारा नगरपालिका परिषद, रामनगर द्वारा पूर्व में निविदा लेने से मना किया गया हो तो ऐसे व्यक्ति/फर्म/संस्था को निविदा प्रकिया में प्रतिभाग करना निषेध होगा।

8. ठेकेदार को ठेका किसी अन्य व्यवित्त को किसी भी रूप में हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।
9. ठेका स्वीकृत होने की स्थिति में नीलामी की शर्ते भी अनुबन्ध का भाग होगी और किसी भी शर्त का उल्लंघन होने या ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता किये जाने पर ठेका निरस्त कर उक्त शर्तो के अधीन आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

10. ठेके सम्बन्धी समस्त प्रकार के करों/देयकों आदि के भुगतान का दायित्व ठेकेदार का होगा।
11. ठेकेदार को मा0 न्यायालय/शासन/प्रशासन/अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका रामनगर द्वारा समय–समय पर दिए गए आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

12. ठेका नगरपालिका सीमार्न्तगत केवल बेचे जाने वाले मवेशियो पर पंजीकरण शुल्क एवं पंजीकृत तहबाजारी शुल्क वसूल करने का है।
13. ठेका वसूली पालिका द्वारा निर्धारित दरों पर की जायेगी जो निम्न प्रकार है–
    1. **पशु पंजीकरण शुल्क — 100=00 रू0 प्रति पशु0**
    2. **पंजीकृत तहबाजारी शुल्क — 50=00 रू0 प्रति पशु0**

14. पशु बाजार में लाये गये पशुओं की अपरिहार्य परिस्थिति में मृत्यु होने पर ठेकेदार को तत्काल इस सम्बन्ध में पालिका को सूचित करना अनिवार्य होगा एवं निर्धारित शुल्क पालिका में जमा करने के पश्चात् पालिका द्वारा मृत पशुओं का निस्तारण किया जायेगा।
15. पशुओं हेतु बैठने की व्यवस्था, साफ सफाई, मल मूत्र निस्तारण ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर करना अनिवार्य होगा।

16. ठेकेदार पंजीकरण शुल्क तथा पंजीकृत शुल्क नगरपालिका परिषद के वर्तमान शैड्यूल रेट्स के अनुसार ही वसूल करेगा जिसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि ठेकेदार को पालिका परिषद द्वारा दी जाएगी।
17. पशु ऊँटपड़ाव स्थित पशु बाजार स्थल में ही बांधे जाएंगे। स्वीकृत ठेकेदार द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि वह पशु बाजार हेतु निर्धारित स्थान से अतिरिक्त स्थान पर अतिक्रमण नही करेगा एवं ठेकेदार का उत्तरदायित्व होगा कि वह पशुओं को सड़क पर न बांधने दे और न ही उनकी लोडिंग–अनलोडिंग सड़क पर होने दे यदि इस शर्त का उल्लंघन होता है तो ठेकेदार के विरूद्व ठेका निरस्त किए जाने की कार्यवाही अमल मे लाई जाएगी। यदि भविष्य में पशु बाजार का स्थान परिवर्तित होता है तो ठेकेदार को तत्काल नये स्थल पर उक्त कार्य स्थानान्तरित करना अनिवार्य होगा।
18. ठेकेदार को पंजीकरण रसीद एवं पंजीकृत तहबाजारी रसीदों के नमूनें नगरपालिका परिषद के कार्यालय से ले जाकर मजमून के अनुसार रसीद बुकें अपने खर्च से छपवानी होगी।
19. ठेकेदार द्वारा निर्गत की गई पंजीकरण एवं तहबाजारी रसीदों को नगरपालिका परिषद के अधिकारियों को जॉच करने का अधिकार होगा।

20. ठेकेदार को पशुपंजीकरण एवं पंजीकृत तहबाजारी नियमों के अनुरुप निर्धारित दरो पर शुल्क वसूल करने का अधिकार होगा।

21. ठेके के संचालन के सम्बन्ध मे पालिका के अधिकारी/कर्मचारियो द्वारा नियमो के अर्न्तगत दिए गए आदेशो/निर्देशो का ठेके को पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
22. ठेका स्वीकृत एवं अनुबन्ध होने के ठेकेदार को ठेके का कब्जा व वसूली हेतु आदेश दिया जाएगा।
23. यदि किसी कारणवश पशु बाजार में किसी पशु की मृत्यु होती है तो उसके निस्तारण की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी।

अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद
रामनगर (नैनीताल)

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
रामनगर (नैनीताल)

24. ठेकेदार को ठेके की अवधि समाप्त होने के दिनांक 31–03–2027 को ठेके का दखल पालिका को देना होगा अन्यथा ठेके का दखल पालिका स्वयं ले लेगी और इस पर आने वाला खर्च भू–राजस्व की भाँति वसूल किया जाएगा।
25. ठेके की वसूली निर्धारित दरों पर करने की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं करे तथा वसूली पर लगाए जाने वाले व्यक्ति को फोटो सहित पहचान पत्र दिए जाने अनिवार्य होगें।
26. ठेके की धनराशि जमा न करने पर सम्बन्धित उच्चतम कोटेशनदाता द्वारा पूर्व में कोटेशन के साथ संलग्न जमानत की धनराशि जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जाएगा तथा ठेके की पुनः नीलाम किए जाने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ठेकेदार को इसमें आपत्ति का कोई अधिकार नहीं होगा।
27. दैवीय आपदा या महामारी एवं अन्य कारणों को आधार बनाकर ठेके की धनराशि में छूट चाहने संबंधी क्षतिपूर्ति दावे/प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
28. ठेका बिना किसी कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रशासक/अध्यक्ष नगरपालिका परिषद का होगा।
29. किसी वाद–विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार रामनगर क्षेत्रान्तर्गत सक्षम न्यायालय में निहित होगा।
30. ठेके की किसी भी प्रकार की बकाया व क्षतिपूर्ति की धनराशि भू–राजस्व की भाँति वसूल की जाएगी।
31. ठेके की शर्तो का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रथम बार रू0 5000=00 (पाँच हजार रू0) दूसरी बार में 10,000=00 (दस हजार रू0) जुर्माना व तीसरी बार में ठेका निरस्त करते हुए जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा पुनः निविदा आमंत्रित की जायेगी। यदि पुनः ठेका किये जाने पर कोई आर्थिक क्षति होती है तो उसकी भरपाई ठेकेदार से भू–राजस्व वसूली की भाँति की जायेगी, जिसके समस्त हर्जे–खर्चे का दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।

अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद, रामनगर।

अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद, रामनगर।